

विवाह प्रक्रिया में बदलाव लाकर पारिवारिक संरचना को मजबूत करना

-शांतिलाल मुथ्था

तेजी से बदलते इस समय में विवाह संस्था के अस्तित्व को लेकर कई आशंकाएं उठ रही हैं। विवाह तय करने की प्रक्रिया में बदलाव आज के समय की जरूरत बन चुकी है। तलाक की बढ़ती संख्या का असर हमारे परिवारों और समाज की बुनियाद पर पड़ने लगा है। समाजजनों की सहमती से मैंने इस सन्दर्भ में एक उपाय प्रस्तुत किया है जिसकी शुरुआत जैन समाज से की गयी है। हमारे समाज में माता-पिता की युवाओं की शादी के लिये रिश्ते खोजते और पसंद करते रहे हैं। मेरे अनुसार युवक-युवतियों को अपने लिए योग्य जीवनसाथी अपने ही समाज में से चुनने का अधिकार देकर हम बड़ों को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर हम उनकी मदद कर सकते हैं।

चार वर्ष पूर्व, बीजेएस के ही राष्ट्रीय अधिवेशन में मैंने कहा था की आगामी १५ वर्षों में समाज में हर दूसरा विवाह तलाक की वजह से टूटेगा। ऐसा कहते हुए मुझे काफी दुःख हो रहा था; किन्तु समाज के हित में यह कदम उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता था कि पारिवारिक संरचना के बारे में मेरे यह भविष्यवाणी लोगों द्वारा स्वीकृत होना काफी कठिन होगा। यह सभी बातें मैंने अपने ३० वर्षों के अनुभव के आधार पर ही प्रस्तुत की थी।

जैन समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समाज परम्पराओं को मानते हुए पारिवारिक संस्था में विश्वास रखता है। किन्तु आज के समय में जब विवाह असफल हो रहे हैं और परिवार बिखर रहे हैं, तो अन्य समाजों की तरह जैन समाज में भी यह संकट गहरा रहा है।

एक समय था जब हमारे समुदाय में तलाक शब्द भी दुर्लभ था। किन्तु आज की स्थिति गंभीर है। मैंने ऐसे दुखद उदाहरण देखे हैं जहाँ २-३ बच्चे होते हुए भी माता-पिता में तलाक हुआ है। सगाईयां टूट रही हैं और शादी के २४ घंटे के अन्दर ही तलाक भी हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने इन सभी घटनाओं को बढ़ते हुए देखा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो समाज का अस्तित्व की संकट में आ जाएगा।

मैंने प्रथम सामूहिक विवाह २५ मई, १९८६ को आयोजित किया था जिसमें जैन समाज के २५ युगल विवाह सूत्र में बंधे। उस समय पर यह पहल करना एक कठिन और गंभीर विषय था। हमने पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा भी आयोजित की थी और अनेक घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में जाकर जानकारी हासिल की थी। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक ही उद्देश्य था की लड़की के माता-पिता पर पड़ने वाले दहेज़ के बोझ को कुछ कम कर सकें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनहित में कार्य करना चाहते थे, फिर भी कई बार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। समय के साथ अन्य समाज के लोगों और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। हमारा मुख्य उद्देश्य जो कि लड़की के परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना था; उसे समाज में मान्यता मिली और सामूहिक विवाह में पहले से अधिक लोग शामिल होने लगे। फिर भी जैन समाज में इस कार्यक्रम को सीमित सफलता ही प्राप्त हो पाई है। विभिन्न समस्याओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे प्रयासों में कभी कमी नहीं आई।

सामूहिक विवाह के पश्चात हमने सन १९८६ में परिचय सम्मलेन का आयोजन भी प्रारंभ किया। परिचय सम्मलेन के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन होते रहे और समाज में इससे अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए। समाज के अस्तित्व को लेकर मेरी हर चिंता और भय मेरे अनुभवों पर आधारित है।

पारंपरिक रूप से परिवार के बुजुर्ग रिश्तेदारों, मित्रों और अन्य लोगों के माध्यम से उचित विवाह प्रस्ताव खोजते हैं। इसके बाद वे लड़के के परिवार से संपर्क करते हैं और मीटिंग तय होती है। इस दौरान लड़के और लड़की की भावनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। उनकी पसंद और अपेक्षाओं एके बारे में जानने की ज्यादा कोशिश नहीं की जाती है। परिवार के बुजुर्ग लड़के की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की समाज में पहचान और रुतबे को ज्यादा महत्व देते हैं।

माता-पिता कुछ तय मापदंडों के अनुसार ही विवाह तय करते हैं। नई और पुरानी पीढ़ी में विचारों का मतभेद रहता है। लड़कियां खुलकर अपने मन की बात कह नहीं बता पाती हैं और इस वजह से वे लड़के के परिवार को पूर्ण रूप से अपना नहीं पाती। इन्हीं कारणों से शादी के बाद समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और लड़की या तो गुमसुम रहती है या फिर कोई अनुचित कदम उठा लेती है।

पारंपरिक ढंग से विवाह तय करने में लड़कों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में मान्यता है की विवाह हेतु पहल लड़की के परिवार को करनी चाहिए। इस वजह से लड़के को पहले तो उचित प्रस्ताव आने के लिए और बाद में अपने परिवार के फैसले के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है।

जैन समुदाय के साथ ही अन्य समाजों में भी एक और समस्या उठ रही है। आजकल लड़कियां उच्च शिक्षित हो रही हैं और जॉब में कई तरह के फैसले परिपक्वता के साथ लेती हैं। वे हर तरह से सक्षम होने पर भी लड़के के परिवार से मिलते समय असहज महसूस करती हैं। यदि लड़के का परिवार उसे नापसंद करता है तो वह मानसिक दबाव में आ जाती है। यह प्रक्रिया आज की उच्चशिक्षित युवतियों को मंजूर नहीं होती है। ऐसी स्थिति ही ना आये इसके लिए मैंने सर्वसम्मति से विवाह प्रक्रिया में बदलाव हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

बीजेएस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब मैंने अपना सुझाव प्रस्तुत किया तो वहां उपस्थित लोगों ने इसे मान्य किया और इसे एसएमएस वोटिंग द्वारा ९६.२% वोटों से पारित भी किया। परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय करते समय उनके सुखी भविष्य की कामना करते और सदा उनका भला ही चाहते हैं। समय और युग परिवर्तन के साथ युवाओं की अपेक्षाएं बदल गयी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जॉब और व्यवसाय में सफल होने के पश्चात उनका जीवन के प्रति नजरिया बदलता है। आज के युवाओं के मन में अपने जीवनसाथी की एक स्पष्ट छवि होती है। यह पसंद यदि बड़ों की पसंद से मेल नहीं खाती तो युवा अनिच्छा जाहिर करते हैं। दोनों पीढ़ियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने से परिवार की शान्ति भंग होती है।

आज के चुनौतीपूर्ण माहौल में परिवार को बनाये रखने और विवाह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विवाह तय करने के तरीके में बदलाव अनिवार्य हैं। युवा पीढ़ी समझदार और स्मार्ट है। पालकों को बच्चों पर भरोसा करके उन्हें विवाह प्रस्ताव चुनने का अधिकार देना चाहिए और अपने अनुभव से मार्गदर्शन भी देना चाहिए। इस उपाय से बड़े पैमाने पर वैवाहिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जीवनसाथी के चुनाव में अपनी पसंद शामिल होने से युवा शादी के बाद आवश्यक तालमेल स्थापित करेंगे। वे समझेंगे की इस विवाह को सफल बनाना अब उनकी जिम्मेदारी है। युवाओं को थोड़े अधिकार सौंपने से यह समस्या हल हो सकती है। घर के बड़े भी तो बच्चो की खुशी ही चाहते हैं।

हमने यह उपाय जैन समाज में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेएस के कार्यकर्ता और अधिकारी भी इस सुझाव से सहमत हैं। अब हम पुरे समाज में उचित तरीके से इसका प्रचार प्रसार करेंगे और हमारी अगली पीढ़ी की खुशियों को अवश्य सुनिश्चित करेंगे। बच्चो की खुशी से ज्यादा हम बड़ों को और क्या चाहिए ?